समावेशी शिक्षा का अर्थ
(MEANING OF INCLUSIVE EDUCATION)

शिक्षा का सम्बन्ध मनुष्य के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिकता के गुणों के उन्नयन से है। जीवन में शिक्षा की इतनी अधिक उपयोगिता है कि कहा गया है "बिना शिक्षा व ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है"। वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ समावेशी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा, शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्यधारा के स्कूलों में पठन-पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है, जिससे वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। इसके तहत स्कूलों में पठन-पाठन के अलावा विकलांग बच्चों के लिए बाधारहित वातावरण का निर्माण कार्य भी शामिल है। शिक्षण की इस नवीन प्रणाली से हाशिए पर के वे बच्चे लाभान्वित होते हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढ़ाई पूरी

करने तक विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्यतः दृष्टि, श्रवण एवं अधिगम अक्षमता के साथ-साथ मानसिक मंदता और बाधिरघंत से ग्रस्त होते हैं। इन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित होने में काफी कठिनाई होती है। माता-पिता या अभिभावकों की सोच भी इन बच्चों के प्रति सकारात्मक नहीं होती है, जिसके कारण वे अपने आपको समाज से कटा महसूस करते हैं। परिणामस्वरूप वे स्कूली शिक्षा से बाहर ही रह जाते हैं। समाज में ऐसे बच्चों की आबादी 5 से 10 फीसदी है। इसलिए ऐसे बच्चों का शिक्षा में समावेशन किया जाना अति आवश्यक है।

समावेशी शिक्षा में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। अर्थात् समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें उनकी योग्यता, शारीरिक-अक्षमता, भाषा-संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। आज ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कुछ विकसित देशों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ आवासीय विद्यालयों के रूप में कार्यरत हैं लेकिन हमारा देश भारत विकासशील होते हुए भी इस प्रकार की संस्थाओं के अभाव से ग्रस्त है।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा में समावेशन वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा-कक्षा में उनकी शिक्षा के लिए लाती है सह समन्वित-पृथक्करण के विपरीत है। पृथक्कीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है तथा धीरे-धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी उस समूह की तथा समाज की बढ़ती जाती है। अलगाववाद के विचार ऐसी परिस्थिति में पैदा होते हैं और ये अपने आपको समाज से अलग पाते हैं। समन्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज का कुछ भाग (जो शारीरिक रूप से बाधित अथवा अपंग है) सभी विशेषताएँ समाज से मिलती हैं। यह प्रक्रिया व्यक्तियों के पास-पास आने व एक-दूसरे से दूरी कम करने से प्रारम्भ होती है। यह प्रक्रिया सामाजिक दूरी को कम करती तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है। इस प्रकार सामाजिक समावेशन को बल मिलता है तथा विभिन्न बालकों के समूह समाज में बराबर के भागीदार बन जाते हैं।

समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ (CHARACTERISTICS OF INCLUSIVE EDUCATION)

1. समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अन्तर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ-साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्कीरण के विरुद्ध व्यावहारिक समाधान है।

2. समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी-कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, सम्प्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात् वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं।

3. इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों तथा वे समाज में अन्य लोगों की भाँति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवनयापन कर सकें।

4. यह अपंग बालकों को कम प्रतिबन्धित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे समान्य बालकों के समान जीवनयापन कर सकें।

5. यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा सम्बन्ध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक-दूसरे के मध्य दूरी कम करके आपसी सहयोग की भावना भी प्रदान करती है।

6. यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।

7. यह अपंग बालकों के जीवनयापन के स्तर को ऊँचा उठाने तथा उनके नागरिक अधिकारों को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है।

8. यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है।

9. शारीरिक अपंग बालकों की समावेशी शिक्षा व्यवस्था विशिष्ट शिक्षण के मध्य, अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का सामना करने से छुटकारा दिलाती है।

10. समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता-पिता के सामूहिक प्रयास पर आधारित है।

11. समावेशी शिक्षा-शिक्षण की समानता तथा अवसर जो अपंगों को अब तक नहीं दिये गये उनकी मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आयाम है।

समेकित अथवा समावेशी शिक्षा की आवश्यकता (NEED OF INCLUSIVE EDUCATION)

किसी भी शिक्षा प्रणाली का निर्धारण प्रायः बालकों की बुद्धिलब्धि, शैक्षिक योग्यता तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार समावेशी शिक्षा का निर्धारण भी छात्रों की बुद्धिलब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के कई स्तर होते हैं। ये स्तर बालकों के स्तरानुसार ही निर्धारित किये जाते हैं। बालकों के स्तरों को निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया गया है—

1. शारीरिक रूप से भिन्न बालक (Physically Handicapped)—वे बालक जो कि अन्य बालकों से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं, इस श्रेणी में आते हैं, जैसे—

(a) सांवेदिक रूप से विकलांग बालक, (b) गतीय रूप से विकलांग बालक, तथा (c) बहुल विकलांग बालक।

2. मानसिक रूप से विचलित बालक (Mentally Retarded Children)—वे बालक जो कि मानसिक रूप से विचलित होते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं, जैसे—

(a) प्रतिभाशाली बालक, (b) मन्दबुद्धि बालक, तथा (c) सृजनशील बालक।

इस श्रेणी की विशेषता यह है कि जरूरी नहीं वह बालक जो कि मानसिक रूप से कमजोर हों, वे इस श्रेणी में आयें वरन् वह बालक जो आवश्यकता से अधिक चतुर व समझदार होते हैं, वह भी इस श्रेणी में आते हैं।

3. सामाजिक रूप से विचलित बालक (Socially Deprived Children)—वे बालक जो कि सामाजिक रूप से विचलित होते हैं, वे इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, जैसे—

(a) सांवेगिक रूप से परेशान बालक, (b) असमायोजित बालक, (c) वंचित बालक, (d) समस्यात्मक बालक, (e) बाल अपराधी, (f) माता-पिता द्वारा तिरस्कृत बालक।

4. शैक्षिक रूप से भिन्न बालक (Educationally Differ Children)—शैक्षिक रूप से भिन्न बालकों के अन्तर्गत निम्न बालक आते हैं—

(a) शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, (b) शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, (c) किसी विषय विशेष को न सीख पाने वाले बालक, तथा (d) सम्प्रेषण बाधित बालक।

समावेशी शिक्षा में बदलाव
(TRANSITION FROM SEGREGATION TO INCLUSION)

आज के आधुनिक युग में 'शिक्षा सभी के लिए' का नारा अत्यधिक प्रचलित है। चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अतः यहाँ प्रत्येक जाति, धर्म तथा रंग-रूप के व्यक्ति रहते हैं। जिस प्रकार यह शारीरिक रूप से एक-दूसरे से अलग हैं ठीक उसी प्रकार से यह आपस में मानसिक रूप से भिन्न है। अतः इन बालकों की शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया।

समावेशी या समेकित शिक्षा की व्यवस्था (Planning for Inclusive Education)

विशिष्ट बालक का क्षेत्र बहुत व्यापक होने के कारण विशिष्ट शिक्षा का भी क्षेत्र अति व्यापक है। भिन्न-भिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है।

मुख्य रूप से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था निम्नलिखित रूपों में की जानी चाहिए—

1. समेकित शिक्षा हेतु परिभ्रामी अध्यापकों की व्यवस्था—विशिष्ट बालकों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट परिभ्रामी अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि बालकों को शिक्षा व निर्देशन देने में अधिकतम सहायता प्रदान की जा सके। इस प्रकार इन समेकित अध्यापकों के माध्यम से विशिष्ट बालकों की निर्योग्यताओं को दूर किया जा सकता है।

2. समाजसेवियों तथा विशेषज्ञों की व्यवस्था—विशिष्ट बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए समाजसेवियों तथा विशेषज्ञों की व्यवस्था करनी चाहिए। इनके लिए ये लोग अधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में ये विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित होते हैं। सप्ताह में एक या दो बार यदि सम्भव हो सके तो प्रत्येक दिन इन विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता व निर्देशन लेना चाहिए।

3. अतिरिक्त कक्षा की योजना—सामान्य विद्यालयों या कक्षाओं में पढ़ रहे विशिष्ट बालकों को अलग करके अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप मन्दबुद्धि तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का विकास सामान्य बालकों जैसा हो सके तथा वे कक्षा में बार-बार असफल न हो सकें। कक्षा-शिक्षण के अतिरिक्त पहले या बाद में इस प्रकार की कक्षाओं की व्यवस्था करके उनकी कमियों को दूर किया जा सकता है तथा सामान्य बालकों के साथ समायोजित किया जा सकता है।

4. समेकित कक्षा योजना—जिस विद्यालय में शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक आदि की संख्या अधिक हो, उस स्थिति में इन बालकों के साथ बैठाकर शिक्षा देना उचित नहीं है। प्रशिक्षित अध्यापकों, विषय विशेषज्ञों, निर्देशकों के माध्यम से सहायक सामग्री तथा यन्त्रों की व्यवस्था करके उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

5. समेकित विद्यालय योजना—यदि विशिष्ट बालक सामान्य विद्यालय के बालकों के साथ समायोजन करने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं तो इस परिस्थिति में इन बालकों के लिए, जैसे—चक्षुहीन, बहरे व गूँगे, बाल-अपराधी, कुसमायोजित, उच्च प्रतिभासम्पन्न, सृजनात्मक, समस्यात्मक आदि के लिए समेकित विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए। यद्यपि इसमें खर्च अधिक पड़ता है, इसके लिए विशेष कक्षाओं व भवनों का निर्माण, प्रशिक्षित तथा योग्य अध्यापक, चिकित्सक, निर्देशक, विशेष सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है।

6. आवासीय विद्यालय योजना—अन्धे, बहरे, विकृत शरीर वाले, बाल-अपराधी, मानसिक रूप से विकलांग व मन्दबुद्धि तथा सांवेगिक रूप से असन्तुलित आदि गम्भीर विशिष्ट बालकों के लिए आवासीय विद्यालय की योजना क्रियान्वित करनी चाहिए। इस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षण-प्रशिक्षण मात्र कक्षाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विशिष्ट बालकों के प्रत्येक कार्य में निर्देशन के साथ अभ्यास कराये जाते हैं। बालक सहायक सामग्रियों का उचित प्रयोग करके बेकार समय का सदुपयोग करने का अभ्यास कर लेता है यद्यपि कि इस प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था से बालक, घर तथा समाज से अलग हो जाता है, लेकिन विशिष्टता में सुधार सम्भव हो जाता है।

समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षक एवं शिक्षक एजेन्सियों की भूमिका (ROLE OF TEACHER AND TEACHERS AGENCY IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION)

भारत में शारीरिक रूप से चुनौती झेल रहे लोगों की संख्या अधिक है और इनके विकास के बिना देश का पूर्ण विकास सम्भव नहीं है। भारत की विशिष्ट शिक्षा आयामों में एक महत्वपूर्ण आयाम है–'समावेशित शिक्षा'। एन.सी.ई.आर.टी. के प्रतिवेदन में बतलाया गया है कि समावेशी शिक्षा में दिव्यांग (शारीरिक, दृष्टिबाधित, श्रवणह्रास) सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर, भाषाई अल्पसंख्यक एवं विभिन्न परिवेश से आए हुए विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य किया जाता है। जिससे शिक्षक को बिशेष शिक्षण कला एवं दक्षता से युक्त होना पड़ता है। साथ ही कक्षा में शिक्षक को इन विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करते समय विभिन्न प्रकार की विशेष सामग्रियों एवं साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा में शिक्षक को शिक्षण में सहकारी शिक्षण, परियोजना शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण विधि आदि का उपयोग विद्यार्थियों की विभिन्नता के अनुकूल करना पड़ता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा की कक्षा में शिक्षकों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों के समावेशी विकास में शिक्षक ही वह जरिया है जिसके द्वारा वंचित समाज की शिक्षा के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।

समावेशित शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि समावेशित शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक केवल अपने आपको शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं रखता है, अपितु विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों का कक्षा में उचित ढंग से समायोजन करना, उनके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना, विद्यालय के अन्य कर्मचारियों,

अध्यापकों तथा विशिष्ट अध्यापक से बालक की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने
लिए सहयोग व सहकारपूर्ण व्यवहार करना, बालक को मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं का
करना आदि कार्य भी करने पड़ते हैं। इसलिए अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह
निपुण हो, उसे विशिष्ट सामग्री की जानकारी हो, बालकों के प्रति स्वस्थ व सकारात्मक
रखता हो, उनके मनोविज्ञान को समझता हो। अतः शिक्षक की जिम्मेदारी हो जाती है कि
समावेशन की नीति को स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू करे। बच्चे के
के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी
स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी करायी
और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ
समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के
महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिले।

समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षक की भूमिका के बाद विद्यालय तंत्र की भी महती
होती है। बच्चा परिवार के बाद जिस लघु समाज से परिचित होता है, यह उसका विद्यालय
होता है। बच्चे अपने परिवार से कुछ न कुछ सकारात्मक या नकारात्मक मूल्य लेकर विद्यालय
आता है। यहाँ पर विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी विद्यालय
को एक ऐसे रूप में परिलक्षित कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे की विभिन्नताओं (शारीरिक, मानसिक
सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक आदि) के होते हुए भी उन्हें सभी के साथ मिलकर ज्ञान सृजन करने
समान अवसर मिल सकें। उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें कक्षा-कक्ष में
वातावरण मिल सके ताकि वे आत्म विश्वास, आत्म सम्मान, सकारात्मक सोच, प्रभावी सम्प्रेषण
गुणों को स्वयं में विकसित करते हुए सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की ओर अग्रसर हो सकें।
सन्दर्भ में शिक्षक को शिक्षा में समावेशन के निम्न वैचारिक और दार्शनिक आधार को समझना

1. प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है।

2. बच्चों के सीखने के तौर-तरीकों में विविधता होती है, जैसे—अनुभवों के माध्यम से,
को करने से, प्रयोग करके, पढ़ने, चर्चा करने, प्रश्न पूछने, सुनने, सोचने, चिन्तन करने, अभिव्यक्त
करने, छोटे एवं बड़े समूह में गतिविधियाँ करने आदि तरीकों से बच्चा सीखता है।

3. बच्चों को सीखने-सिखाने के क्रम में समुचित अवसर देने की आवश्यकता होती है।

4. बच्चों को सिखाने से पूर्व सीखने-सिखाने के लिए तैयार करने हेतु समुचित वातावरण
करने की आवश्यकता होती है।

5. बच्चा अनेक तथ्य याद तो कर सकता है परन्तु उन्हीं तथ्यों, अवधारणा एवं विचारों
अपने परिवेश से सम्बद्धता नहीं बिठा पाता है, जिनके बारे में उसकी भली-भाँति समझ बन
होती है।

6. सीखने की प्रक्रिया न केवल विद्यालय में वरन् विद्यालय के बाहर भी निरन्तर चलती
है। अतः सीखने-सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार संचालित की जानी चाहिए कि बच्चा सीखने
प्रक्रिया में संलग्न हो जाए तथा समझ विकसित करे बजाए इसके कि वह परीक्षा उत्तीर्ण करने
लिए मात्र तथ्यों को रटता रहे।

7. सीखना किसी माध्यम या इसके बगैर भी सम्भव हो सकता है, अतः इसके लिए सीखने-सिखाने
की प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को
जानना, समझना महत्वपूर्ण है।

8. शिक्षार्थियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जानना/समझना
महत्वपूर्ण है।

9. शिक्षार्थियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी पृष्ठभूमि के प्रति आदर रखना।

इसके साथ ही शिक्षक को यह भी ध्यान रखना होगा कि विद्यालय में कुछ गिने-चुने बच्चों को ही विभिन्न गतिविधियों में प्रदर्शन के अवसर देने की बजाय सभी बच्चों को अवसर देने चाहिए। इन बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचाना जाना चाहिए और इन विशिष्ट क्षमताओं की तारीफ भी करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ शिक्षक में अपेक्षित धैर्य का होना भी समावेशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।

जहाँ तक समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षक एजेंसियों की भूमिका की बात है तो संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में कई अन्तर्राष्ट्रीय निकाय और एजेंसियाँ विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने एवं उसमें सुधार करने के लिए विभिन्न तरीकों से काम कर रहीं हैं। इसमें आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र, शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनिसेफ इत्यादि शामिल हैं। इन सभी निकायों का काम विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मानक उपकरणों, कार्यक्रमों एवं क्रिया योजनाओं के साथ चल रहा है। शिक्षा के सम्बन्ध में इन सभी निकायों का कार्य सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके अलावा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता की शिक्षा को सुनिश्चित करना है। ये समस्त निकाय समावेश का एक व्यापक दृष्टिकोण लेते हैं अर्थात् विकलांग पुरुष एवं महिलाओं, अल्पसंख्यक, स्वदेशी और ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के लिए असमानताओं को कम करने पर बल देते हैं। इसके कारण विद्यालयी रूप से असफल छात्रों को समान कक्षा के साथ ही सप्ताह में कुछ समय विशेष अनुदेशन देने से उनकी उपलब्धि पर सामान्य बच्चों की तरह ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

विभिन्न शिक्षा आयोगों की रिपोर्ट में भी समावेशी शिक्षा पर बल देने की बात कही गई है। सार्जेन्ट रिपोर्ट (1944) में कहा गया कि जहाँ तक सम्भव हो निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। अतः निःशक्त बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का ही एक अविभाज्य अंग हो, अंतर केवल बच्चे के पढ़ाने की विधि और बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनाये गए साधनों से होगा (कोठारी आयोग)।